

161

26-6-15


मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय

:: आदेश ::



भोपाल, दिनांक 27/5/2015

क्रमांक एफ. 1-10/2009/सात/शा. 6 — मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से शाजापुर जिले की तहसील शुजालपुर के राजस्व वृत्त अवंतीपुर बड़ौदिया के पटवारी हल्का क्रमांक 38 से 43 एवं 51 से 54 तक कुल 10 पटवारी हल्के एवं तहसील गुलाना के राजस्व वृत्त सुंदरसी के पटवारी हल्का क्रमांक 25 से 28 एवं 34 से 38 तक कुल 07 पटवारी हल्कों को अपवर्जित करते हुए तहसील शुजालपुर एवं तहसील गुलाना की सीमाओं में परिवर्तन करती है और उक्त कुल 17 पटवारी हल्कों तथा 45 ग्रामों को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील पोलायकला का सृजन करती है। उक्त तहसील का मुख्यालय पोलायकला में होगा।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(राजीव रंजन)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक एफ. 1-10/2009/सात/शा.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-10/2009/सात/शा. 6 दिनांक 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(राजीव रंजन)  
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

29.9.2015  
27.6.15  
10/91

सहा-नि  
(N7)

15.9.15

श्रीमती अविता श्रीवास्तव

16.09.15